सं. जेड-11017/85/2023-छात्रवृत्ति

भारत सरकार

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

5 वां तल, बी विंग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003

दिनांक 26/07/2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) के लिए नि:शुल्क कोचिंग की योजना के लिए मौजूदा दिशानिर्देश में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने समग्र (अम्ब्रेला) योजना "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" के तहत इस विभाग द्वारा कार्यान्वित दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग (एसडब्ल्यूडी) के दिशानिर्देश में कुछ आशोधन हेतु मंजूरी दी है।

2. तदनुसार, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से नि:शुल्क कोचिंग योजना के संबंध में अनुबंध में दिए गए अनुसार परिवर्तन लागू होंगे। छात्रवृत्ति संबंधी संपूर्ण दिशानिर्देश इस विभाग की वेबसाइट https://depwd.gov.in/ पर उपलब्ध है।

(प्रदीप ए)
निदेशक (छात्रवृत्ति)
ई-मेल: pradeep.anirudhan@gov.in

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रधान सचिव।
2. सभी संबंधित एनआई/सीआरसी/कार्यान्वयन एजेंसियां।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीय राज्य मंत्री (आरए) के निजी सचिव/माननीय राज्य मंत्री (बीएलवी) के निजी सचिव
3. सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (आरवाई) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (आरएस) के निजी सचिव/उप महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव
6. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सभी निदेशक/उप निदेशक

अनुबंध

क्रम सं.	पैरा	पिछली स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	14.2	**कोचिंग के लिए पाठ्यक्रम** जिन पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी, वे निम्नानुसार होंगे: i. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा ग्रुप 'ए' पदों के लिए, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा ग्रुप 'बी' और 'सी' पदों के लिए और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) द्वारा ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाएं; ii. संबंधित राज्यों में ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं; iii. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा उनके तहत अधिकारी स्तर/लिपिक स्तर के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाएं; iv. (क) इंजीनियरिंग (जैसे आईआईटी-जेईई), (ख) मेडिकल (जैसे नीट) (ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे प्रबंधन (जैसे कैट) और विधि (जैसे क्लैट), और (घ) ऐसे अन्य विषयों/पाठ्यक्रमों जिस पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्णय लिए गए अनुसार में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षाएं।	**कोचिंग के लिए पाठ्यक्रम** जिन पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी, वे निम्नानुसार होंगे: i. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा ग्रुप 'ए' पदों के लिए, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा ग्रुप 'बी' और 'सी' पदों के लिए और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) द्वारा ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाएं; ii. संबंधित राज्यों में ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं; iii. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा उनके तहत अधिकारी स्तर/लिपिक स्तर के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाएं; iv. (क) इंजीनियरिंग (जैसे आईआईटी-जेईई), (ख) मेडिकल (जैसे नीट) (ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे प्रबंधन (जैसे कैट) और विधि (जैसे क्लैट), **(घ) स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा (जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी/पीजी** (घ) ऐसे अन्य विषयों/पाठ्यक्रमों जिस पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय अनुसार

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षाएं (ङ) समय-समय पर कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए गठित और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अनुमोदित चयन समिति द्वारा संस्तुत ऐसे कोई अन्य विषय/पाठ्यक्रम ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>14.3</td><td>स्लॉट की संख्या और इसका वितरण

नि:शुल्क कोचिंग योजना के तहत वार्षिक रूप से 1000 स्लॉट होंगे, जिनमें से 60% स्लॉट (अर्थात् 600) सरकारी सेवाओं में भर्ती से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और 40% स्लॉट (अर्थात् 400) विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला हेतु प्रवेश परीक्षाओं के लिए चिन्हित किए जाएंगे।

सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चिन्हित 600 स्लॉटों का आगे का संवितरण निम्नानुसार होगा-
<table>
<tr><th>दिव्यांगता के प्रकार</th><th>चिन्हित स्लॉटों की संख्या</th></tr>
<tr><td>(क) अंधापन और निम्न दृष्टि</td><td>130</td></tr>
<tr><td>(ख) बधिर, सुनने में कठिनाई और वाक् एवं भाषा दिव्यांगता</td><td>130</td></tr>
<tr><td>(ग) प्रमस्तिष्क घात, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता</td><td>130</td></tr>
<tr><td>(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता और बहु दिव्यांगता</td><td>130</td></tr>
</table></td><td>स्लॉट की संख्या और इसका वितरण

नि:शुल्क कोचिंग योजना के तहत वार्षिक रूप से 1000 स्लॉट होंगे, जिनमें से 60% स्लॉट (अर्थात् 600) सरकारी सेवाओं में भर्ती से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और 40% स्लॉट (अर्थात् 400) विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला हेतु प्रवेश परीक्षाओं के लिए चिन्हित किए जाएंगे। तथापि, नि:शुल्क कोचिंग की मांग के आधार पर तथा वित्तीय सीमाओं के अध्यधीन विभाग सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुमोदन से वार्षिक स्लॉट को 1000 से अधिक बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

सरकारी नौकरियों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चिन्हित 600 स्लॉटों का आगे का संवितरण निम्नानुसार होगा:-
<table>
<tr><th>दिव्यांगता के प्रकार</th><th>चिन्हित स्लॉ संख्या</th></tr>
<tr><td>(क) अंधापन और निम्न दृष्टि</td><td>130</td></tr>
<tr><td>(ख) बधिर, सुनने में कठिनाई और वाक् एवं भाषा दिव्यांगता</td><td>130</td></tr>
<tr><td>(ग) प्रमस्तिष्क घात, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता</td><td>130</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		(ङ) अन्य दिव्यांगताएं जैसे कि पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां (मल्टीपल स्केलेरोसिस और पार्किंसंस रोग) और रक्त विकार (हीमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग)। 80 तथापि, उपर्युक्त श्रेणियों में यदि किसी में पात्र आवेदकों की अनुपलब्धता हो तो, उस श्रेणी के अंतर्गत अप्रयुक्त स्लॉट का उपयोग तर्कसंगत रूप से आवेदकों की अधिक संख्या वाली अन्य श्रेणियों के लिए किया जा सकता है।	(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता और बहु दिव्यांगता 130 (ङ) अन्य दिव्यांगताएं जैसे कि पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां (मल्टीपल स्केलेरोसिस और पार्किंसंस रोग) और रक्त विकार (हीमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग)। 80 तथापि, उपर्युक्त श्रेणियों में यदि किसी में पात्र आवेदकों की अनुपलब्धता हो तो, उस श्रेणी के अंतर्गत अप्रयुक्त स्लॉट का उपयोग तर्कसंगत रूप से आवेदकों की अधिक संख्या वाली अन्य श्रेणियों के लिए किया जा सकता है।
3	14.4	**कार्यान्वयन एजेंसी** i. यह योजना विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू की जाएगी : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) द्वारा लागू किए जा रहे हैं। ii. विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय संस्थान/समेकित क्षेत्रीय केन्द्र।	**कार्यान्वयन एजेंसी** i. यह योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से लागू की जाएगी। ii. विभाग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों और शिक्षा/विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत किसी भी अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से इस योजना के कार्यान्वयन पर भी विचार कर सकता है, बशर्ते कि चयन(सेलेक्शन) समिति द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों और संस्थानों का चयन कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में किया जाएगा, जिसकी संरचना बाद के पैरा में दी गई है और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अनुमोदित है।

4	14.5	**<u>कार्यान्वयन एजेंसी का अनुमोदन</u>** विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर एक चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा जो योजना को लागू करने के लिए वास्तविक और शैक्षणिक अवसंरचना की उपलब्धता और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों की सिफारिश करेगी। चयन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी: i. संयुक्त सचिव, छात्रवृत्ति, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग - अध्यक्ष ii. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, एमएसजेई -सदस्य iii. संयुक्त सचिव या प्रतिनिधि जो उप सचिव/निदेशक रैंक से नीचे न हो।(नि: शुल्क कोचिंग योजना का कार्य देखने वाले), सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग - सदस्य iv. निदेशक, डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन-सदस्य v. निदेशक/उप सचिव, छात्रवृत्ति, डीईपीडब्ल्यूडी सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के चयन समिति की सिफारिशों के अनुमोदन प्राधिकारी होंगे।	**कार्यान्वयन एजेंसी का अनुमोदन** चयन समिति, जो नि:शुल्क कोचिंग योजना को लागू करने के लिए वास्तविक और शैक्षणिक अवसंरचना और अन्य आवश्यकताओं की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करेगी, की संरचना निम्नानुसार होगी: i. संयुक्त सचिव, छात्रवृत्ति, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग - अध्यक्ष ii. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या उनका प्रतिनिधि जिसका स्तर उप सचिव के पद से नीचे का न हो- सदस्य iii. उप सचिव/निदेशक (छात्रवृत्ति), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग - सदस्य
5	14.6	**<u>कार्यान्वयन एजेंसी के लिए सामान्य शर्ते</u>** i. **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:** कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, आवंटित स्लॉट, प्रति पाठ्यक्रम स्लॉट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रम, प्रति छात्र के लिए प्रभारित शुल्क, पाठ्यक्रम की	**<u>कार्यान्वयन एजेंसी के लिए सामान्य शर्ते</u>** i. **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:** कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, आवंटित स्लॉट, प्रति पाठ्यक्रम स्लॉट के साथ

		अवधि, पाठ्यक्रम शुरू होने और पाठ्यक्रम की समाप्ति की तारीख आदि का उल्लेख होगा।	प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रम, प्रति छात्र के लिए प्रभारित शुल्क, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम शुरू होने और पाठ्यक्रम की समाप्ति की तारीख आदि का उल्लेख होगा।
		ii. **समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण:** हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। समझौता ज्ञापन के नवीकरण के समय निष्पादन मानदण्डों को पूरा करने, कार्यान्वयन एजेंसी की इच्छा तथा अन्य सामग्री कारकों की पूर्ति के अध्यधीन पैनल का नवीकरण आगे की अवधि के लिए किया जा सकता है।	ii. **समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण:** हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। समझौता ज्ञापन के नवीकरण के समय निष्पादन मानदण्डों को पूरा करने, कार्यान्वयन एजेंसी की इच्छा तथा अन्य सामग्री कारकों की पूर्ति के अध्यधीन पैनल का नवीकरण आगे की अवधि के लिए किया जा सकता है।
		iii. विभाग द्वारा हर वर्ष कार्यान्वयन एजेंसी के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी।	iii. विभाग द्वारा हर वर्ष कार्यान्वयन एजेंसी के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी।
		iv. कार्यान्वयन एजेंसी कोचिंग के लिए आउटसोर्सिंग की अनुमति नहीं देगा।	iv. कार्यान्वयन एजेंसी कोचिंग के लिए आउटसोर्सिंग की अनुमति नहीं देगा।
		v. कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि संकेतित पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग स्वयं के परिसर में प्रदान की जाएगी।	v. कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि संकेतित पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग स्वयं के परिसर में प्रदान की जाएगी।
		vi. कार्यान्वयन एजेंसी छात्रों की आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करेगा और आवश्यकतानुसार इसे विभाग के साथ साझा करेगा।	vi. कार्यान्वयन एजेंसी छात्रों की आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करेगा और आवश्यकतानुसार इसे विभाग के साथ साझा करेगा।
		vii. कार्यान्वयन एजेंसी उनके और विभाग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार संकेतित पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग आयोजित करेगी।	vii. कार्यान्वयन एजेंसी उनके और विभाग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार संकेतित पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग आयोजित करेगी।

		viii. **छात्रों की पात्रता के बारे में कार्यान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी:** कार्यान्वयन एजेंसी ऐसे मूल दस्तावेजों से उनके द्वारा प्रशिक्षित छात्रों के शैक्षिक, यूडीआईडी कार्ड/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय आदि से संबंधित प्रामाणिकताओं की जांच करेगी और प्रमाणित करेगी कि वे संतुष्ट हैं कि ये छात्र ईमानदार और योग्य छात्र हैं। उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद, कार्यान्वयन एजेंसी इस विभाग को शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों की एक सूची अग्रेषित करेगी। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि ऐसे छात्रों में से कोई भी या सभी शिक्षा, दिव्यांगता की श्रेणी, वार्षिक पारिवारिक आय आदि के कारण पात्र नहीं थे, तो ऐसे छात्र को कोचिंग देने वाली कार्यान्वयन एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। ऐसे छात्रों के संबंध में कोई शुल्क/वजीफा (स्टाइपेंड) जारी नहीं किया जाएगा और इसके अलावा, यदि ऐसे छात्रों को योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी योग्यता न होने के बारे में पता चलने से पहले ही उन्हें कोई भुगतान जारी किया जा चुका है, तो वह राशि विभाग द्वारा तय किए गए जुर्माना, यदि कोई हो तो, के साथ छात्रों और संबंधित संस्थान से वसूल की जाएगी।	viii. **छात्रों की पात्रता के बारे में कार्यान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी:** कार्यान्वयन एजेंसी ऐसे मूल दस्तावेजों से उनके द्वारा प्रशिक्षित छात्रों के शैक्षिक, यूडीआईडी कार्ड/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय आदि से संबंधित प्रामाणिकताओं की जांच करेगी और प्रमाणित करेगी कि वे संतुष्ट हैं कि ये छात्र ईमानदार और योग्य छात्र हैं। उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद, कार्यान्वयन एजेंसी इस विभाग को शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों की एक सूची अग्रेषित करेगी। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि ऐसे छात्रों में से कोई भी या सभी शिक्षा, दिव्यांगता की श्रेणी, वार्षिक पारिवारिक आय आदि के कारण पात्र नहीं थे, तो ऐसे छात्र को कोचिंग देने वाली कार्यान्वयन एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। ऐसे छात्रों के संबंध में कोई शुल्क/वजीफा (स्टाइपेंड) जारी नहीं किया जाएगा और इसके अलावा, यदि ऐसे छात्रों को योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी योग्यता न होने के बारे में पता चलने से पहले ही उन्हें कोई भुगतान जारी किया जा चुका है, तो वह राशि विभाग द्वारा तय किए गए जुर्माना, यदि कोई हो तो, के साथ छात्रों और संबंधित संस्थान से वसूल की जाएगी।
6	14.7	**<u>दिव्यांग छात्रों के लिए पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें</u>** i. यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।	**<u>दिव्यांग छात्रों के लिए पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें</u>** i. यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के

				लिए है।
		ii.	यह योजना 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' में परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता यानी 40% या अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों और जिनके पास नियमों के तहत निर्धारित किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र है, के लिए खुली है।	ii.	यह योजना 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' में परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता यानी 40% या अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों और जिनके पास नियमों के तहत निर्धारित किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र है, के लिए खुली है।
		iii.	आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या अनिवार्य होगी और उम्मीदवारों का आधार आधारित बायो-मैट्रिक प्रमाणीकरण भी किया जा सकता है।	iii.	आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या अनिवार्य होगी और उम्मीदवारों का आधार आधारित बायो-मैट्रिक प्रमाणीकरण भी किया जा सकता है।
		iv.	दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) संख्या या यूडीआईडी नामांकन संख्या अनिवार्य है।	iv.	दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) संख्या या यूडीआईडी नामांकन संख्या अनिवार्य है।
		v.	एक ही अभिभावक के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। यदि दूसरा बच्चा जुड़वां है, तो योजनाओं के तहत लाभ जुड़वां के लिए स्वीकार्य होगा।	v.	एक ही अभिभावक के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। यदि दूसरा बच्चा जुड़वां है, तो योजनाओं के तहत लाभ जुड़वां के लिए स्वीकार्य होगा।
		vi.	इस योजना के तहत लाभ किसी विशेष छात्र द्वारा एक से अधिक बार नहीं लिया जा सकता है, भले ही वह किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा में कितने भी मौके लेने का हकदार हो और परीक्षा के चाहे कितने भी चरण हों।	vi.	इस योजना के तहत लाभ किसी विशेष छात्र द्वारा एक से अधिक बार नहीं लिया जा सकता है, भले ही वह किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा में कितने भी मौके लेने का हकदार हो और परीक्षा के चाहे कितने भी चरण हों।
-		vii.	केवल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्र, जिनकी कुल पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों से	vii.	केवल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्र, जिनकी कुल पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 8.00 लाख रुपये या

		प्रति वर्ष 8.00 लाख रुपये या उससे कम है, इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे।	उससे कम है, इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे।
		viii. आय प्रमाण पत्र: स्व-नियोजित (सेल्फ एम्प्लोइड) माता-पिता / अभिभावक की आय घोषणा राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में होनी चाहिए जो तहसीलदार / नायब तहसीलदार के पद से नीचे नहीं होना चाहिए। नियोजित माता-पिता/अभिभावकों को अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना और आय के किसी अन्य अतिरिक्त स्रोत सहित राजस्व अधिकारी से समेकित आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।	viii. आय प्रमाण पत्र: स्व-नियोजित (सेल्फ एम्प्लोइड) माता-पिता / अभिभावक की आय घोषणा राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में होनी चाहिए जो तहसीलदार / नायब तहसीलदार के पद से नीचे नहीं होना चाहिए। नियोजित माता-पिता/अभिभावकों को अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना और आय के किसी अन्य अतिरिक्त स्रोत सहित राजस्व अधिकारी से समेकित आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।
		ix. यदि कोई उम्मीदवार उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योजना का लाभ उठाना चाहता है जिसमें पात्रता परीक्षा कक्षा 12वीं है तो उम्मीदवार ने भी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण/पास कर ली हो या योजना का लाभ प्राप्त करने की तिथि के समय कक्षा 12वीं में पढ़ रहा हो। छात्र को आवेदन पत्र में उसके द्वारा कक्षा 10वीं में प्राप्त अंक लिखने होंगे, जिनके आधार पर उसकी पात्रता का मूल्यांकन किया जाएगा । कक्षा 10वीं की परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे ।	ix. भर्ती परीक्षाओं/प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना में शामिल होने की पात्रता वही होगी जो उस संबंधित भर्ती/प्रतियोगी परीक्षा की पात्रता है।
		x. यदि कोई उम्मीदवार उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योजना का लाभ उठाना चाहता है जिसमें पात्रता परीक्षा कक्षा स्नातक (ग्रेजुएशन) है तो उम्मीदवार ने भी कक्षा स्नातक उत्तीर्ण/पास कर ली हो या योजना का लाभ प्राप्त करने की तिथि के समय कक्षा स्नातक में पढ़ रहा हो। छात्र को आवेदन पत्र में कक्षा 12वीं में प्राप्त अंक लिखने होंगे, जिनके आधार उसकी पात्रता का मूल्यांकन किया जाएगा । कक्षा 12वीं की परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने	x. यदि कोई उम्मीदवार उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योजना का लाभ उठाना चाहता है जिसमें पात्रता परीक्षा कक्षा 12वीं है तो उम्मीदवार ने भी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण/पास कर ली हो या योजना का लाभ प्राप्त करने की तिथि के समय कक्षा 12वीं में पढ़ रहा हो। इसके अतिरिक्त यदि, कोई उम्मीदवार उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योजना का लाभ उठाना चाहता है जिसमें पात्रता परीक्षा कक्षा स्नातक

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>वाले विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

xi. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य कोचिंग योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो तथा उसे इस संबंध में एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।</td>
<td>(ग्रेजुएशन) है तो उम्मीदवार ने भी कक्षा स्नातक उत्तीर्ण/पास कर ली हो या योजना का लाभ प्राप्त करने की तिथि के समय कक्षा स्नातक में पढ़ रहा हो।.
xi. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य कोचिंग योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो तथा उसे इस संबंध में एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>14.9</td>
<td>निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क और वजीफा (स्टाईपेंड)

i. नि:शुल्क कोचिंग योजना के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क और पाठ्यक्रमों की अवधि निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कोचिंग पाठ्यक्रम</th><th>अधिकतम कुल पाठ्यक्रम शुल्क (रुपये में)</th><th>पाठ्यक्रम की न्यूनतम और *अधिकतम अवधि महीनों में</th></tr>
<tr><td>1</td><td>यूपीएससी/एसपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा</td><td>75,000/-</td><td>9 महीने - 12 महीने</td></tr>
<tr><td>2</td><td>एसएससी/आरआरबी</td><td>40,000/-</td><td>6 महीने - 9 महीने</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बैंकिंग/बीमा/पीएसयू/क्लैट</td><td>50,000/-</td><td>6 महीने - 9 महीने</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जेईई/एनईईटी</td><td>75,000/-</td><td>9 महीने - 12 महीने</td></tr>
<tr><td>5</td><td>आईईएस</td><td>75,000/-</td><td>9 महीने - 12 महीने</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कैट/मैट</td><td>50,000/-</td><td>6 महीने - 9 महीने</td></tr>
</table>
</td>
<td>निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क और वजीफा (स्टाईपेंड)

i. नि:शुल्क कोचिंग योजना के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क और पाठ्यक्रमों की अवधि निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कोचिंग पाठ्यक्रम</th><th>अधिकतम कुल पाठ्यक्रम शुल्क (रुपये में)</th><th>पाठ्यक्रम की न्यूनतम और *अधिकतम अवधि महीनों में</th></tr>
<tr><td>1</td><td>यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा/ यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के स्तर की कोई अन्य परीक्षा/ राज्य प्रशासनिक सेवाएँ (एसपीएससी)</td><td>75,000/-</td><td>9 - 12 महीने</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)/ राज्य सरकार</td><td>40,000/-</td><td>6 - 9 महीने</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

7	सीए-सीपीटी/गेट	75,000/-	9 - 12 महीने

* उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रति सप्ताह 16 घंटे की न्यूनतम फिजिकल कोचिंग अनिवार्य होगी।

क. वजीफा (स्टाइपेंड)/रखरखाव भत्ता : रु. 4000/- प्रति माह

ख. दिव्यांगता भत्ता : रु.2000/- प्रति माह

ग. पुस्तक भत्ता: 5000 रुपये प्रति पाठ्यक्रम (एक बार)

नोट: वजीफा (स्टाइपेंड)/रखरखाव भत्ता / दिव्यांगता भत्ता कोचिंग के वास्तविक महीनों के लिए या अधिकतम निर्धारित अवधि के लिए, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा, भले ही संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी ने निर्धारित अधिकतम अवधि से भी अधिक अवधि के लिए कोचिंग प्रदान की हो।

	की विभिन्न सेवाओं में प्रवेश के लिए राज्य चयन आयोग की परीक्षाएं / रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा		
3	बैंकिंग/बीमा/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	40,000/-	6 - 9 महीने
4	संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट)	40,000/-	6 - 9 महीने
5	संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)/ नीट	75,000/-	9 - 12 महीने
6	सम्मिलित प्रवेश परीक्षा (कैट)/ **कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट** (सी मैट)	40,000/-	6 - 9 महीने
7	चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमन प्रोफ़िशियेंसी टेस्ट (सीए-सीपीटी)	40,000/-	6 - 9 महीने
8	इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु स्नातक अभिरुचि परीक्षा (गेट)	75,000/-	9 - 12 महीने
9	शिक्षक अहर्ता परीक्षा (टैट)/यूजीसी नेट परीक्षा /संयुक्त सीएस आईआर-यूजीसी नेट	40,000/-	6 - 9 महीने

				परीक्षा			
			10	**कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी स्नातक/स्नातकोतर)**	**40,000/-**	**6 - 9 महीने**	
				* उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रति सप्ताह 16 घंटे की न्यूनतम फिजिकल (आमने-सामने की) कोचिंग अनिवार्य होगी। ii. अभ्यर्थियों को दिया जाने वाला वजीफा (स्टाइपेंड) और अन्य भत्ते क. वजीफा (स्टाइपेंड)/रखरखाव भत्ता : रु. 4000/- प्रति माह ख. दिव्यांगता भत्ता : रु.2000/- प्रति माह ग. पुस्तक भत्ता: 5000 रुपये प्रति पाठ्यक्रम (एक बार) नोट: वजीफा (स्टाइपेंड)/रखरखाव भत्ता / दिव्यांगता भत्ता कोचिंग के वास्तविक महीनों के लिए या अधिकतम निर्धारित अवधि के लिए, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा, भले ही संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी ने निर्धारित अधिकतम अवधि से भी अधिक अवधि के लिए कोचिंग प्रदान की हो।		
8	14.10	**वजीफा (स्टाईपेंड) और शुल्क के संवितरण का तरीका :-** i. कोचिंग शुल्क, वजीफा (स्टाइपेंड) और अन्य स्वीकार्य भत्ते उम्मीदवार के आधार सक्षम बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम से स्वीकार्य राशि के 50% की दो किस्तों में जारी किए						**वजीफा (स्टाईपेंड) और शुल्क के संवितरण का तरीका :-** i. कोचिंग शुल्क/ट्यूशन शुल्क को अग्रिम आधार पर केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से जारी किया जाएगा। यह केंद्रीय नोडल एजेंसी, मासिक/ त्रैमासिक आधार पर कार्यान्वयन एजेंसी (कोचिंग

		जाएंगे। पहली किस्त पाठ्यक्रम शुरू होने पर तत्काल जारी की जाएगी और दूसरी किस्त पाठ्यक्रम अवधि के 75% से अधिक के समापन के बाद जारी की जाएगी। पुस्तक भत्ता पहली किस्त के हिस्से के रूप में पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा। ii. कोचिंग शुल्क प्राप्त होने पर, छात्रों को संस्थान शुल्क का एक हिस्सा तत्काल, अधिकतम 15 दिन के भीतर, उस कार्यान्वयन एजेंसी को भेजना या भुगतान करना होगा, जहां वे कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।	संस्थान) को भुगतान करेगी | ii. मासिक/त्रैमासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, वजीफा (स्टाइपेंड) और अन्य स्वीकार्य भत्ते उम्मीदवार के आधार लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी मोड के माध्यम से मासिक/त्रैमासिक आधार पर जारी किए जाएंगे।